नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	रतनलाल v/s बाबू कमेरा दावा 81/09	
9/6/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत बघला में पेश हुई। तहसीलदार लालसोट के पत्रांक 293 दि० 29/6/17 से बंटवारा तरमीम तामील की गई, अवलोकन किया गया। दावा वादी अनुसार बंटवारा तरमीम फाईनल डिक्री किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-	

तारीख
इसहुक्म
।
रीहुए ।

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा।

उनवान

रतनलाल पुत्र बुद्धु जाति बैरवा निवासी बाजना तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान

–वादी

बनाम

1. बाबू पुत्र भोलू 2. चिरंजी पुत्र सामलिया 3. केवल पुत्र गेंदया 4. नामालूम पत्नि भरती 5. गोरधन पुत्र नथुआ जातिगण बैरवा निवासीयान बाजना तहसील सपोटरा जिला करौली(राज0) 6.लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत:– अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट
मुकदमा नम्बरः– 85/09
निर्णय दिनांकः– 29.06.2017

वादी की ओर से रतनलाल एवं प्रतिवादीगण की ओर से............... की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 29.06.2017 को **श्री राजपाल यादव आरएएस** उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि– दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम बाजना की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बाबू पुत्र भोलू जाति बैरवा निवासी बाजना के हिस्से मे ख0नं0 423/1 रकबा 06 बिस्वा रहेगा।
2. रतनलाल पुत्र बुद्धू जाति बैरवा निवासी बाजना के हिस्से मे ख0नं0 423 रकबा 10 बिस्वा, ख0नं0 424 रकबा 07 बिस्वा, ख0नं0 425 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 19 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 29.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजपाल यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टॉम्प 4. ......रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमीश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प अर्जी के लिए स्टॉम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमीश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	